नामांकन और मतदान करने के लिए तैयार हों

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI

मतदान करने के लिए नामांकन क्यों करवाएँ?

अगर आप मतदान करने के लिए अपना नामांकन करवाते हैं, तो आम चुनावों, स्थानीय चुनावों और जनमत-संग्रहों में आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। चुनाव ऐसे अवसर होते हैं जिनमें आप अपने लिए महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने वाली बात सामने रख सकते हैं।

मतदान करने के लिए नामांकन करवाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए।

मतदान करने के लिए कौन नामांकन करवा सकता है?

आपको अपना नामांकन कराना चाहिए, अगर:

- **आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, और**
- **आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक या न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासी हैं, और**
- **आप अपने जीवनकाल में कभी भी न्यूज़ीलैंड में लगातार एक साल से अधिक समय तक रहे हैं।**

अगर आप ऑस्ट्रेलियाई, कुक आइलैंड्स माओरी, न्यूइयन या टोकेलाउआन हैं, तो लगातार 12 महीनों तक न्यूज़ीलैंड में निवास करने के बाद आप नामांकन करवा सकते हैं।

अगर आप विदेश में रहते हैं, तो आप 2023 के आम चुनाव में मतदान करने के लिए अपना नामांकन करवा सकते हैं अगर:

- **आप न्यूज़ीलैंड के ऐसे नागरिक हैं, जो पिछले 6 सालों से न्यूज़ीलैंड में रह रहा है, या**
- **आप न्यूज़ीलैंड के एक ऐसे स्थायी निवासी हैं, जो पिछले 4 सालों से न्यूज़ीलैंड में रह रहा है।**

2023 के चुनाव के बाद यह अवधि न्यूज़ीलैंड के नागरिकों के लिए वापस 3 साल और न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासियों के लिए 12 महीने हो जाएगी।

चुनावों के प्रयोजन के लिए, एक स्थायी निवासी वह है जो न्यूज़ीलैंड में कानूनी रूप से रह रहा है और जिसे एक विशिष्ट समय के भीतर देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें रेज़ीडेंट वीज़ा पर रहने वाले लोग शामिल हैं।

आप 17 साल के होने पर नामांकन करवा सकते हैं। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, तो आपका नामांकन अपने आप हो जाएगा और आप मतदान करने के लिए तैयार हो जाएँगे।

मैं अपना नामांकन कैसे करवा सकता हूँ?

नामांकन करवाना या अपने विवरण अपडेट करना आसान है। आप:

- **vote.nz** पर जाकर ऑनलाइन नामांकन करवाने के लिए अपने न्यूज़ीलैंड ड्राइवर लाइसेंस, न्यूज़ीलैंड पासपोर्ट या रियलमी सत्यापित पहचान का इस्तेमाल कर सकते हैं
- **0800 36 76 56** पर मुफ़्त में कॉल करके अपने लिए एक फ़ॉर्म भेजने के लिए कह सकते हैं

नामांकन के बाद, आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। मतदान करने के लिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए।

जब-जब आप अपना निवास बदलते हैं, तब-तब आपको अपना विवरण अपडेट करने की ज़रूरत होती है।

क्या अपनी निजी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं?

अगर आपको अपनी निजी सुरक्षा या अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है, तो आप गोपनीय अप्रकाशित सूची पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम आपके नामांकन के विवरण सुरक्षित रखेंगे और उसे किसी को भी नहीं देंगे।

अधिक जानकारी और एप्लिकेशन फ़ॉर्म के लिए, **vote.nz** पर जाएँ या **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

क्या नामांकन करवाने में मदद चाहिए?

आप अपना नामांकन फ़ॉर्म भरने में मदद करने के लिए या अपना फ़ॉर्म भरने के लिए, अपने किसी परिचित जैसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य से कह सकते हैं या हमारी नामांकन टीम से अनुरोध कर सकते हैं।

आपको फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत होती है।

अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण न तो अपना नामांकन फ़ॉर्म भर सकता है और न ही उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो हो सकता है कि आप उसकी मदद कर पाएँ।

मतदान करने के लिए नामांकन करवाने में किसी की मदद के संबंध में अधिक जानकारी के लिए **vote.nz** पर जाएँ।

अगर आप माओरी हैं, तो मतदान करने के लिए नामांकन कैसे करवाएं

अगर आप माओरी वंश के हैं और पहली बार नामांकन करवा रहे हैं, तो आपको एक महत्वपूर्ण विकल्प का चयन होगा। आपको निर्णय लेना होगा कि आप किस मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं: आम सूची या माओरी सूची। आपका चुनाव उस निर्वाचन समूह पर प्रभाव डालता है जिसमें आप आम चुनाव में मतदान करते हैं।

अगर आप आम सूची का चुनाव करते हैं, तो आप आम निर्वाचन समूह के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे।

अगर आप माओरी सूची चुनते हैं, तो आप माओरी निर्वाचन समूह के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे।

आपका नाम जिस सूची में है, आप उसी सूची के राजनीतिक दलों के लिए मतदान कर सकते हैं।

आप जिस मतदाता सूची को चुनेंगे, उससे स्थानीय चुनावों में मतदान करने का आपका तरीका प्रभावित हो सकता है। अगर आप माओरी मतदाता सूची में हैं और आपके स्थानीय प्राधिकरण के अधीन एक माओरी वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र है, तो आप माओरी वार्ड के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे।

आप आम चुनाव और स्थानीय चुनावों के पहले की 3 महीने की अवधि, और कुछ परिस्थितियों में पार्लियामेंट के उपचुनाव के पहले के सिवाय किसी भी समय अपनी सूची को बदल सकते हैं।

क्या आपको अधिक जानकारी चाहिए?

नामांकन और मतदान करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

- **vote.nz** पर जाएँ
- **0800 36 76 56** पर कॉल करें

नामांकन और मतदान करने के बारे में जानकारी **vote.nz** पर कई भाषाओं में उपलब्ध है।

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI